न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 10/2019
जीसीएमएस नम्बर :: 2019/00136

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
फजकी बेवा कमरूदीन जाति मोयला मुसलमान, निवासी बिठु तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रोहट जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– सरकारी पैरोकार उपस्थित।

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **22.07.2024**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार रोहट के प्रकरण संख्या 31/2018 बअनवान सरकार बनाम फजकी में पारित आदेश दिनांक 23.10.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट वक्त बहस वकालतन एवं असालतन न्यायालय में अनुपस्थित रहे। सरकारी पैरोकार उपस्थित। अपीलाण्ट वक्त बहस अनुपस्थित होने से प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चाटेलाव के खसरा संख्या 295 रकबा 05 बीघा व खसरा संख्या 283/2 रकबा 07 बीघा किस्म बारानी दोयम पर अपीलाण्ट फजकी के पति व अन्य अपीलाण्ट के पिता का कब्जा काश्त संवंत् 2019 से लगातार चला आ रहा है। रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट को केवल एक नोटिस देकर प्रथम पेशी पर ही बेदखली का आदेश पारित कर दिया जबकि जवाब व साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। किसी व्यक्ति को राजकीय भूमि पर अतिक्रमी घोषित करने के पश्चात उसे कब्जे सम्बन्धी साक्ष्य हेतु अवसर दिया जाना चाहिए परन्तु रेस्पोडेण्ट ने मुझे सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है।

जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

सरकारी पैरोकार ने अधिवक्ता अपीलाण्ट के अपील मीमो में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर अपील आदेश नियमानुसार व आदेशों को मध्यनजर रखते हुए जारी किया गया है। अतः अपील–अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

जिला कलेक्टर, पाली

प्रकरण में सरकार पैरोकार की श्रवणशुदा बहस एवं पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन करने पर पाया कि प्रकरण में अपीलाण्ट का प्रमुख उज्र यह है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा एकतरफा निर्णय पारित किया गया। देखने रेकर्ड से यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि बिलानाम है तथा बिलानाम भूमि पर अतिक्रमी के कब्जे को नियमित किये

Scanned with ACE Scanner

जाने बाबत् कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतिक्रमित भूमि की किस्म व उक्त भूमि पर अपीलाण्टः के कब्जे को अतिक्रमण मानकर हटाये जाने के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते। अतएव अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **22.07.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner